



GOVERNMENT SWAMI ATMANAND PG COLLEGE

DIST- NARAYANPUR (CG) 494661


Affiliated to Shaheed Mahendra Karma Vishwavidhalaya, Bastar, Jagdalpur, (C. G.)

Registered Under Section 2(f) & 12(b) of UGC Act

Supporting Photo:

First page of books published form our faculty in the last five years 2020-2021 to 2016-2017.

2020-2021 Entry No. (1)




जल वर्तमान की प्रमुख आवश्यकता

मीनाक्षी ठाकुर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बस्तर विश्वविद्यालय, बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत
सम्प्रति: अतिथि सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर, छत्तीसगढ़, भारत

जल समस्त नैसर्गिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है। यह मानव जीवन का मूलाधार है। जल में ही ऐसी शक्ति है जो मानव की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को एक साथ पूर्ण कर सकती है। जल की नैसर्गिक गुणवत्ता में कलुषता की विद्यमानता जल प्रदूषण कहलाती है। जीवन का आधार है जल। दैनिक घरेलू क्रियाएँ, औद्योगिक एवं कृषि कार्यों में जल की व्यापक आवश्यकता होती है। आज का युग विज्ञान का युग है। अतः आज के दौर में भौतिक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है।

संरक्षण शब्द सम् + रक्षण के संयोग से निर्मित है जिसका आशय है समान रूप में रक्षा करना। देश में जनसंख्या में हुई आशातीत वृद्धि से पानी की कमी हो गई है। कुल वर्षा का 10 प्रतिशत भाग तो देश में ही खत्म कर लिया जाता है। शेष जल पृथ्वी की सतह के नीचे चला जाता है जिसका उपयोग नलकूपों द्वारा पानी बाहर निकालकर कर लिया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में करीब 16,900 द्यूबबेल नये लग जाते हैं जिनकी वजह से पानी का स्तर कम होने लगा है। तालाब तथा झीलें सूखने लगी हैं। अतः आवश्यकता है कि अब जल तथा जलाशयों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित संरक्षण होना चाहिए। तालाब तथा झील बढ़ती जनसंख्या के उपयोग से निरन्तर सूखने लगे हैं, उनमें जल स्तर कम हो जाने पर नीचे गाद इत्यादि जम जाती है। कई बार जलकुम्भी नामक पौधा बड़ी मात्रा में स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जो पानी को अधिक सोखता है। अतः ऐसे पौधे तथा खरपतवार इत्यादि को निकालकर झीलों तथा तलाबों की सफाई की जानी चाहिए, ताकि उनमें गहराई करके साफ पानी को अधिक स्टोर किया



अबुझमाडिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक विकास व भूमण्डलीकरण का प्रभाव (छत्तीसगढ़ राज्य के जिला- नारायणपुर के विशेष सन्दर्भ में)

मीनाक्षी ठाकुर

शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़

सम्प्रति- अतिथि व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग,

शासकीय स्वामी आत्मानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर, छत्तीसगढ़.

अध्ययन पद्धति

सोने की चिड़िया कभी सांप और संपेरो का देश कहलाने वाला भारत भूमण्डलीकरण के वर्तमान दौर में विश्व का सबसे तेजी से प्रगति करता मुक्त बाजार वाला लोकतंत्र परिभाषित किया जाने लगा है। भारत की सांस्कृतिक समरसता लोकतांत्रिक सत्यता एवं तर्कशील जीवंतता में आर्थिक समृद्धि का एक नया अध्याय जुड़ गया है। इसके फलस्वरूप भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु एक आशा, अवसर, आकांक्षा और विश्वास का वैश्विक प्रतीक बनकर उभरा है।

प्रस्तुत शोधपत्र गतिशील एशियाई आर्थिक विकास के भूमण्डलीकरण युग की भारतीय अर्थव्यवस्था में अबुझमाडिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक विकास व भूमण्डलीकरण का प्रभाव (छ.ग. राज्य के जिला- नारायणपुर के विशेष सन्दर्भ में) पर आधारित है। शोध पत्र के तथ्यों का संकलन प्राथमिक स्रोत के साक्षात्कार और अनुसूची पद्धति एवं द्वितीयक स्रोतों में अभिलेखों का सहारा लिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र जनजातीय समाज पर भारतीय अर्थव्यवस्था और भूमण्डलीकरण के प्रभावों को दर्शाता है।

शोध पत्र

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-01 में कहा गया है कि इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ होगा, संविधान के इस अनुच्छेद के बारे में अक्सर यह चुटकी ली जाती है कि यह भूमण्डलीकृत भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। भूमण्डलीकृत भारत एक सम्पूर्ण इकाई में नहीं बल्कि दो अलग-अलग इकाईयों के रूप में देखा जा सकता है। पहली इकाई है- सामान्य भारतीय का; भारत जो विशेषज्ञ गाँवों, कस्बों, छोटे शहरों एवं नगरों में निवास करता है। भारत में यह वर्ग अपने जीवन-यापन के लिए राजसत्ता से कहीं अधिक ईश्वर पर भरोसा करता है। भारत में का यह बड़ा वर्ग सामान्यतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करता है या फिर गरीब

Dalit Adivasi Human Rights

Edited by -
Mr. Sudhir Jinde, Dr. A. R. Bhele, Dr. P. L. Wankhede,
Dr. M. H. Zade and Asmita Rajurkar

realme

Shot on realme C25s

2022/01/24 16:59

मानवाधिकार और दलित आदिवासी महिलाएँ

■ श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर

शोधार्थी, बस्तर विश्व विद्यालय जगदलपुर (छ.ग.)

हमारे देश ने आज वैश्विक स्तर को प्राप्त कर लिया है। आईटी, न्यूक्लीयर एनर्जी के उत्पादन, संचार और अंतरिक्ष तकनीक आदि क्षेत्रों में भारत विश्वस्तरीय स्पर्धाओं में अग्रणी बढ़ रहा है और इन्हीं क्षेत्रों में भारतीय महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं। बिजनेस, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और स्पोर्ट्स आदि विश्वस्तरीय प्रोफेशन में महिलाएँ काम कर रही हैं। कई महिलाएँ प्रोफेशनल टीचर्स जैसे बौद्धिक क्षेत्रों के लिए विदेशों में अतिरिक्त व्याख्यानो के लिए बुलाई जा रही हैं, लेकिन इन सभी का अभी बहुत कम ज्ञान है। हम विशेष रूप से दलित और आदिवासी महिलाओं की बात करे तो आज भी वे अज्ञानता से जूझ रही हैं। वे अधिकार हीन हैं। और इनकी बातों का ध्यान नहीं दिया जाता है। वे भयग्रस्त होती हैं और अपने अधिकारों के प्रति-आवाज नहीं उठाती हैं। स्वतंत्रता के समय-से देश के संविधान के सकारात्मक सिद्धांतों के आधार पर कानून की नजर में सभी महिलाएँ समान हैं। सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा समान है। संविधान के अनुसार जातीयता लिंग, धर्म आदि पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

वर्तमान आधुनिकयुग जिसे तृतीय-विश्व भी कहा जा रहा है, इसकी चकाचौंध में मानव लुप्त-सा होते जा रहा है और मानवाधिकारों का प्रश्न एक नई चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति, स्वभाव या चरित्र के विकास के साथ जुड़े हुए हैं मनुष्य को अपने सप्त गुणों एवं क्षमताओं के विकास के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं अधिकारों से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है। और स्वतंत्र वातावरण में मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों का विकास संभव होता है। मानवाधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानवीय सुखों से है और मनुष्य की अवधारणा को तभी से श्रेयस्कर मानना होगा जब से मानव जाति, समाज एवं राज्य का उदय हुआ है जब से राज्य में समाज व्यवस्था व जाति व्यवस्था के सूत्रपात के बाद दलित एवं आदिवासी वर्ग के साथ मानवीय अधिकारों का हनन होता आया है। समाज में कई स्तर पर कई तरह के विभेद पाए जाते हैं। भाषा, एवं मानसिक स्तर आदि इन स्तरों पर मानव समाज में भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। इन पुरुषों के आधार पर भी भेदभाव का स्तर मौजूद है। मानव जब दानव बनकर मानव का अत्याचार करता है तो मानवाधिकार का हनन होता है मानवाधिकार हेतु अनेक